न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 25/2016

1 हबीबुर रहमान (मृतक)
1/1 मो. उमर पुत्र नाजीर पौत्र हबीबुरहमान
1/2 मो. अली पुत्र नाज़ीर हुसैन पौत्र हबीबुरहमान
1/3 मो. शोकत अली पुत्र नाजीर हुसैन पौत्र हबीबुरहमान
1/4 शबनम पुत्री नाजीर हुसैन पुत्र वधु हबीबुरहमान
1/5 हरबाज पुत्र ताहिर हुसैन पोत्र हबीबुरहमान
1/6 तसलीम पुत्री ताहिर हुसैन पोत्र हबीबुरहमान
1/7 शबनाना पुत्री ताहिर हुसैन पोत्र हबीबुरहमान
1/8 सम्मना पुत्री ताहिर हुसैन पोत्र हबीबुरहमान
1/9 खुशनुमा बानो पत्नी ताहिर हुसैन पुत्र वधु हबीबुरहमान
1/10 खुशनुमा बानो पुत्री हबीबुरहमान
1/11 आमना खातुन पुत्री हबीबुरहमान समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 17 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 मो. उमर उम्र 42 साल पुत्र नातीर हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट्स

बनाम

1 मस्जिद वाके ग्राम उदयपुरवाटी जरिये व्यवस्थापक एवं काजी मोबिन अहमद पुत्र अब्दुल क्युम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 गुरफान अहमद मृतक
2/1 सहनाद पुत्री गुरफान अहमद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2/2 सयदुल अयान पुत्र गुरफान अहमद
2/3 खलिदा पत्नी गुरफान अहमद
2/4 रहना पत्नी रजवान पुत्र वधु गुरफान अहमद
2/5 शैफया पुत्री रजवान पुत्री गुरफान अहमद
2/6 मुसर पुत्र रजवान पुत्री गुरफान अहमद
2/7 शबीर पुत्र रहमान पोत्र गुरफान अहमद
2/8 जमीन पुत्र रजवान पुत्र गुरफान अहमद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 सहायक अभियुक्त अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. उदयपुरवाटी।
4 कनिष्ठ अभियुक्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. उदयपुरवाटी।
5 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6 उप शासन सचिव वक्फ बोर्ड राजस्थान जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी श्री मुनीराम बगड़िया आरएएस बउनवानी मस्जिद वाके ग्राम उदयपुरवाटी आदि बनाम हबीबुर रहमान आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 315/2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कंचन सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 315/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 8, 9, 10, 11, 103, 104, 110, 111 व 112 वाके ग्राम धनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं को नजर अंदाज किया है। विवादित भूमियों पर अपीलान्ट का कदीमी कब्जा काश्त चला आ रहा है कदीमी कब्जा काश्त के आधार पर इसी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के हक खसरा नम्बर 8, 9, 10 के खातेदारी अधिकारी दिनांक 11.02.2013 को दिये गये है। इसलिये विचारण न्यायालय विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमियों के काबिज काश्तकार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विवादित भूमियों के बाबत में दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करने का अधिकार नहीं है चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथाकथित प्रार्थना पत्र में अपने आपको मजिस्द उदयपुरवाटी को व्यवस्थापक बताकर आ रहा है कानूनन व्यवस्थापक को दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। मजिस्द की भूमिया के बाबत में किसी भी प्रकार की कानून कार्यवाही के लिये वक्फ बोर्ड की है। व्यवस्थापक का अधिकार मात्र वक्फ बोर्ड को सूचित करने तक ही है। इसलिये विचारण न्यायालय ने व्यवस्थापक को प्रार्थी मानकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। व्यवस्थापक को बिना काजीं वक्फ बोर्ड की और प्रतिनियुक्त सदस्य नहीं है और ना ही वक्फ बोर्ड की और विवादित भूमियों के बाबत में कार्यवाही करने के लिये मुख्तयार है। इनके अभाव में मोबिन व गुरफान के द्वारा की कार्यवाही प्रारम्भ से शुन्य एवं प्रभावहीन है। विचारण न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 388/2012 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 25.06.2014 को समेकित कर दिया गया। जबकि प्रकरण संख्या 315/2012 व प्रकरण संख्या 388/2012 के तथ्य भिन्न भिन्न थे विचारण न्यायालय ने दोनों प्रकरणों के तथ्यों पर गौर नहीं फरमाया प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 388/2012 को समेकित कर दिया गया है। और प्रकरण संख्या 315/2012 का निस्तारण करते समय 388/2012 के तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया गया है। तथाकथित निर्णय मुकदमा संख्या 315/2012 में प्रकरण संख्या 388/2012 के तथ्यों का निस्तारण नहीं किया गया है। इसलिये तथाकथित निर्णय दिनांक 25.02.2016 विधि विरूद्ध होने से कानूनन अपास्त होने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया अपीलान्ट का बखुबी साबित है चूंकि अपीलान्ट का कब्जा काश्त बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। तथा खसरा नम्बर 8, 9, 10 के बाबत में विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.2013 में अपीलान्ट को खातेदार अधिकार प्रदान किये जा चुके है। इसलिये सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट का तथा

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

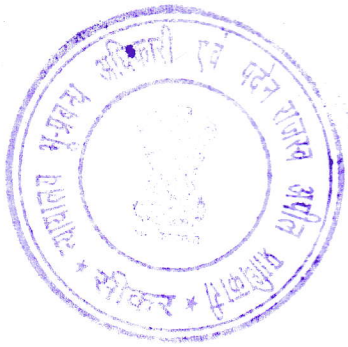

खातेदारी अधिकारों से पाबन्द किये जाने से अपीलान्ट को ही अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2016 कानूनन अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम धनावता तहसील उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 8, 9, 10, 11, 103, 104, 110, 111, 112 किता 9 कुल रकबा 11.36 हैक्टेयर की खातेदारी माफि मस्जिद वाके देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। माफि मस्जिद की खातेदारी में दर्ज भूमि को किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचान, तथा उसमें अवैध रूप से निर्माण आदि करने का कोई अधिकार नहीं है। अनावेदकगण स्वयं ने अपने जवाब में विवादित माफी मस्जिद की भूमि पर कब्जा व निर्माण किया जाना स्वीकार किया है। अनावेदकगण माफी मस्जिद की भूमि को उसके हितों के विपरीत जाकर बेचान व रहन करने को आमादा है। आवेदक द्वारा माफि मस्जिद की भूमि की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवेचन से अनावेदकगण को तादौराने वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 32/2009 उनवानी हबीबुरहमान बनाम माफी मस्जिद में अपीलान्ट के हक खसरा नम्बर 8, 9, 10 के खातेदारी अधिकार निर्णय दिनांक 11.02.2013 से प्रदान किये है। इस निर्णय को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने चुनौती नहीं दी है। इसलिये विचारण न्यायालय विवादित भूमियों के काबिज काश्तकार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 388/2012 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 25.06.2014 को समेकित कर दिया गया। जबकि प्रकरण संख्या 315/2012 व प्रकरण संख्या 388/2012 के तथ्य भिन्न भिन्न थे विचारण न्यायालय ने दोनों प्रकरणों के तथ्यों पर गौर नहीं फरमाया प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 388/2012 को समेकित कर दिया गया है। और प्रकरण संख्या 315/2012 का निस्तारण करते समय 388/2012 के तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया गया है। तथाकथित निर्णय मुकदमा संख्या 315/2012 में प्रकरण संख्या 388/2012 के तथ्यों का निस्तारण नहीं किया गया है। इसलिये सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में साबित है तथा खातेदारी अधिकारों से पाबन्द किये जाने से अपीलान्ट को ही अपूर्णीय क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 32/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2013 इस आधार पर निर्णित किया गया कि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 जो कि प्रथम खतौनी है के कॉलम संख्या 3 में जागीरदारान के नाम अंकित है तथा कॉलम संख्या 4 में उपभोक्ता के रूप में मस्जिद का नाम है लेकिन कॉलम संख्या 5 में जो खातेदारी का कॉलम है इसमें मस्जिद खातेदार दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने इस निर्णय को आदिनांक तक चुनौती नहीं दी है। इस निर्णय को चुनौती दिये बिना नये सिरे से वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर विचाराधीन आदेश प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में भी विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)